



**उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड
 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 763 पदों हेतु विज्ञापन
 साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2020**

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	11 अगस्त, 2020
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	-	11 अगस्त, 2020
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	-	31 अगस्त, 2020 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking /Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	31 अगस्त, 2020 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

1. **रिक्तियों का विवरण-** उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 763 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल
साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी	₹ 56,100- ₹ 1,77,500 (लेवल 10)	237	25	143	107	251	763

2. **क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है-**

क्र० सं०	श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व०सं० से०आ० 02%	पूर्व सैनिक 05%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य	पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	71	04	11	09	—	142	237
2	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	07	00	01	01	—	16	25
3	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	42	02	07	05	—	87	143
4	उत्तराखण्ड सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	32	02	05	04	—	64	107
5	अनारक्षित	75	05	12	27	12	120	251
कुल योग		227	13	36	46	12	429	763

नोट:- उक्त तालिका में वर्णित पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी के अग्रेनीत पद भी सम्मिलित हैं।

3. पद का स्वरूप— राजपत्रित /अंशदायी पेंशनयुक्त।

4. वेतनमान— ₹ 56,100—₹ 1,77,500 (लेवल 10)

(समस्त परास्नातक डिप्लोमाधारक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी को यथा लागू वेतनमान में 03 वेतनवृद्धि, विशेषज्ञ परास्नातक डिग्रीधारक चिकित्सा अधिकारी को यथा लागू वेतनमान में 05 वेतनवृद्धि, सुपर स्पेशलिस्ट (एम०सी०एच० / डी०एम० एवं समकक्ष उपाधिधारक) चिकित्सा अधिकारी को यथा लागू वेतनमान से 07 वेतनवृद्धि का लाभ अनुमत्य होगा, जो वेतन का भाग होगा)

5. शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हतायें—

सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम०बी०बी०एस० की उपाधि या समकक्ष अर्हता रखता हो।

परन्तु यह कि नीचे उल्लिखित परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा मान्य समकक्ष शैक्षणिक उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को चयन में वरीयता दी जायेगी:-

क्र. स.	पदनाम	शैक्षिक उपाधि
1	शल्य चिकित्सक (सर्जन)	एम०एस० / डी०एन०बी०—जनरल सर्जरी, डी०एन०बी० रुरल सर्जरी। एम०सी०एच० / डी०एन०बी०—सर्जिकल गैस्ट्रोएण्टरोलोजी / वैसकुलर सर्जरी / सर्जिकल आंकोलॉजी।
2	निश्चेतक (एनेस्थेटिस्ट)	एम०डी० / एम०एस० / डी०एन०बी०—एनेस्थीसिया डी०ए०—एनेस्थीसिया डी०एम० / डी०एन०बी० कार्डियक / यूरो / पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया
3	विकृति विज्ञानी (पैथोलॉजिस्ट)	एम०डी० / डी०एन०बी०—पैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एवं इम्युनो-हिमैटोलॉजी एण्ड ट्रांसफ्यूजन मेडिसन। डी०सी०पी०, डी०एम०—क्लीनिकल हिमैटो पैथोलॉजी एम०डी० / डी०एन०बी०—मार्झक्रोबाइलॉजी।
4	काय चिकित्सक (फिजीशियन)	एम०डी० / डी०एन०बी०—मेडिसिन, डी०एन०बी० इमरजेंसी मेडिसिन। डी०एम० / डी०एन०बी०—एण्डोक्राइनोलॉजी / गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी / हिमैटोलॉजी / मेडिकल आंकोलॉजी / नेफ्रोलॉजी / न्यूरोलॉजी / रुमेटोलॉजी। पी०एच०डी०—ह्यूमनजिनेटिक्स। एम०डी०—ह्यूमनमटाबीलिज्म।
5	एक्स-रे विज्ञानी (रेडियोलॉजिस्ट)	एम०डी० / डी०एन०बी०—रेडियोलॉजी, डी०एम०आर०डी०। डी०एम०—न्यूरो रेडियोलॉजी
6	हृदय रोग विज्ञानी (कार्डियोलॉजिस्ट)	डी०एम० / डी०एन०बी०—कार्डियोलॉजी / पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी
7	कान नाक गला शल्य चिकित्सक (ई०एन०टी० सर्जन)	एम०एस० / डी०एन०बी०—ई०एन०टी०, डी०एल०ओ०
8	अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक सर्जन)	एम०एस० / डी०एन०बी० (आर्थो०) / डी०आर्थ०
9	नेत्र शल्यक (ऑथैल्मिक सर्जन)	एम०एस० / डी०एन०बी० —ऑथैल्मोलॉजी, डी०ओ०एम०एस०
10	बालरोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिक	एम०डी० / डी०एन०बी०—पीडियाट्रिक्स, डी०सी०एच०, डी०एम० / डी०एन०बी०—पीडियाट्रिक हिमैटो औंकोलॉजी / नेफ्रोलॉजी /

	स्पेशलिस्ट)	निओनेटोलॉजी / गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी / न्यूरोलॉजी / कार्डियोलॉजी, एम0सी0एच0 / डी0एन0बी0–पिडियाट्रिक सर्जरी।
11	चर्मरोग विशेषज्ञ (डरमेटोलॉजिस्ट)	एम0डी0 / डी0एन0बी0–स्किन, वी0डी0 / डी0वी0डी0
12	टी0बी0 / चेस्ट विशेषज्ञ	एम0डी0–टी0बी0 एण्ड चेस्ट / डी0टी0सी0डी0 / एम0डी0 / डी0एन0बी0–पल्मोनरी मेडिसिन
13	स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायेनेकोलॉजिस्ट)	एम0एस0 / एम0डी0 / डी0एन0बी0–गायेनेकोलॉजी एण्ड आब्स्ट्रेटिक्स, डी0जी0ओ0 / डी0एन0बी0–एम0सी0एच0
14	प्लास्टिक सर्जन	एम0एस0 / डी0एन0बी0 / एम0सी0एच0 बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी।
15	तंत्रिका विज्ञानी (न्यूरोलॉजिस्ट)	डी0एम0 / डी0एन0बी–न्यूरोलॉजी
16	साइकियाट्रिस्ट	एम0डी0 / डी0एन0बी0–साइकियाट्री, डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक मेडिसिन।
17	रेडियोथिरेपिस्ट	एम0डी0 / डी0एन0बी0– रेडियोथिरेपी
18	माईक्रो–बायोलॉजिस्ट	एम0डी0 माईक्रो / डी0एन0बी0 / पी0एच0डी0– माईक्रोबायोलॉजी।
19	न्यूरो सर्जन	एम0सी0एच0 / डी0एन0बी0–न्यूरो सर्जरी
20	यूरोलॉजिस्ट	एम0सी0एच0–यूरोलॉजी / डी0एन0बी0 जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी (यूरोलॉजी)
21	नेफ्रोलॉजिस्ट	डी0एम0 / डी0एन0बी–नेफ्रोलॉजी
22	चेस्ट सर्जन	एम0सी0एच0 / डी0एन0बी0–कार्डियो थोरेसिक सर्जरी

अधिमानी अहंताएं— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने,

- (क) बिन्दु 5 के परन्तुक में निर्धारित उपाधि प्राप्त की हो, या
- (ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” अथवा “सी” प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

6. अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध / नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
7. आयु— आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों को समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट होगी जितनी अनुमन्य होगी। पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में भी उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में विहित होगी।
8. राष्ट्रीयता— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी
 - (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पहले भारत आया हो, या
 - (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो,
 परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,
 परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी : जिस अभ्यर्थी के मामले में सेवा प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

9. **चरित्र—** सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

10. **वैवाहिक प्रास्थिति—** पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से शिथिलता प्रदान कर सकेगी।

11. **शारीरिक योग्यता—** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को राजपत्रित पद या सेवा के मामले में नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

परन्तु दिव्यांग अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार शारीरिक योग्यता मान्य होगी।

12. **आरक्षण—** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा:

(क) लम्बवत (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org देखें।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। “अनाथ बच्चों” से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय

अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्युन अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(घ) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ङ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना आवश्यक है।

(च) जहां शापथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शापथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(छ) दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/XXX(2)/17/30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 196/XVII-2/2011-29 (स0क0) / 2003 दिनांक 25 मार्च, 2011, दिव्यांग(पी0एच0), OL(One Leg Affected) या PB(Partially Blind) के अनुसार चिकित्साधिकारी के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(ज) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(झ) उत्तराखण्ड महिला आरक्षण हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगी, जोकि उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी हो और जिसने आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप में उत्तराखण्ड का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने तथा अन्तिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड महिला के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर महिला आरक्षण हेतु निर्धारित कॉलम पर दावा करना अनिवार्य होगा।

13. अति महत्वपूर्ण निर्देश-

(०१) अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(02) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो।

अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो।

विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

(03) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(04) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(05) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(06) ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, स्नातक उपाधि व अंकतालिका, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र/अधिमानी अर्हता, मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

(07) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

14. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश—

(01) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org पर जायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाईट पर दिनांक 11 अगस्त, 2020 से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।

(02) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अपलोड करने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त, 2020 (रात्रि 11:59:59 बजे) है।

(03) अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।

(04) जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(05) ऑफलाईन/हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(06) अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(07) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टियों को ठीक कर लें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।

(08) अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव, मेडिकल काउंसिल का स्थाई प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(09) "You have successfully submitted your application for Ordinary Grade Medical Officer" का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

15. ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. Step 1: Registration Profile
2. Step 2: Application Submission
3. Step 3: Fees Payment

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

1. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाइट www.ukmssb.org पर Apply Now में जाकर दिये गये लिंक पर क्लिक कर Registration Profile बनाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदकों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर का होना आवश्यक है।
4. आवेदकों को Online Application Form में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव (Save) करना होगा।
5. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और वांछित प्रमाण पत्र की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना होगा।
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (20 KB to 50 KB) (JPG Format)
 - स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साइज (5 KB to 20 KB) (JPG Format)
 - अन्य वांछित प्रमाण पत्र (100 KB to 300 KB) (PDF Format)
6. आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु शुल्क जमा करने से पूर्व निर्धारित स्थान पर अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र, शैक्षिक, अनुभव, स्थाई निवास (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल काउंसिल का स्थाई प्रमाण पत्र आदि अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं।
7. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
8. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसमें आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
9. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता:-
 - नेटबैंकिंग
 - डेबिट कार्ड
 - क्रेडिट कार्ड

16. शुल्क— अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु पर "Pay Fee" पर क्लिक करें तथा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा करें—

क्र0सं0	श्रेणी/उपश्रेणी	आवेदन शुल्क (₹)
1	सामान्य/अनारक्षित (UR)	₹ 2,000/-
2	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)	₹ 1,000/-
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	₹ 2,000/-
4	अनुसूचित जाति (SC)	₹ 1,000/-
5	अनुसूचित जनजाति (ST)	₹ 1,000/-
6	दिव्यांगजन (PH)	₹ 1,000/-

नोट:-

- (1) उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी०एफ०एफ०) के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (2) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप-श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (3) 'उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे' उप-श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य/अनारक्षित हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- (4) परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- (5) जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश-

- (1) बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से सम्बन्धित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (2) साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे, साथ ही सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों के 02 स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित बोर्ड कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी।

साक्षात्कार से पूर्व आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार में समिलित नहीं किया जायेगा। अनहूं अभ्यर्थियों की सूचना मात्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर प्रसारित की जायेगी।

- (3) अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जारी किये जायेंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना होगा।

- (4) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिये यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है।

- (5) साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन पेजर, ब्लूटूथ, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

- (6) अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के दौरान अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है।

- (7) **अँगूठे का निशान-** सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँधे अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

- (8) साक्षात्कार तिथि, समय के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश-पत्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही साक्षात्कार परीक्षा देनी होगी।

(9) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की अहंता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) मूल प्रमाण—पत्र के सत्यापन के समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व—प्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(11) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का “अनापत्ति प्रमाण—पत्र” मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(12) जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी के आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(13) देश की किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का मेडिकल काउंसिल स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

18. सामान्य निर्देश—

(01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/साक्षात्कार परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और साक्षात्कार परीक्षा में बैठें।

(02) बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अहंता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(03) साक्षात्कार परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र साक्षात्कार/प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(04) ऑनलाईन मूल आवेदन—पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदन—पत्र, उपस्थिति—सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(06) हाईस्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

(07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के

अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनहूं अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(08) बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापि पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन—पत्र में अपलोड किये हैं।

(09) शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिवास/स्थाई निवास, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण के लाभ हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(10) कार्य अनुभव 01 वर्ष से कम होने पर उसे पूर्ण वर्ष नहीं माना जायेगा, अर्थात् 12 माह से कम (364 दिन) को 01 वर्ष नहीं माना जायेगा। पूर्ण वर्ष होने पर ही एक वर्ष माना जायेगा।

(11) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट (www.ukmssb.org) के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय—समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(12) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण देना होगा।

(13) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा—

01. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या

02. साक्षात्कार परीक्षा में दुर्व्यवहार करना, कक्ष से भाग जाना, साक्षात्कार देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या

03. साक्षात्कार संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या

04. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही,

(क) बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस साक्षात्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही ही जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) अभ्यर्थी को इस संबन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

19. अनुभव प्रमाण पत्र-

अनुभव प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक विभाग/संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी विश्वविद्यालय/चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा।

- 20. (क) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।**

शासनादेश संख्या—23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ख) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

21. परीक्षा पाठ्यक्रम—

कुल अंक:- 100

- एम0बी0बी0एस0 परीक्षा— 20 अंक (50 प्रतिशत से 54.99 प्रतिशत तक— 05 अंक, 55 प्रतिशत से 59.99 प्रतिशत तक— 10 अंक, 60 प्रतिशत से 64.99 प्रतिशत तक— 15 अंक तथा 65 प्रतिशत अथवा उससे अधिक—20 अंक)
 - अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता— 10 अंक (क्लीनिकल विषय में पी0जी0 डिग्री— 10 अंक, क्लीनिकल विषय में डिप्लोमा—05 अंक)
 - अनुभव— 20 अंक
(पूर्ण 01 वर्ष हेतु 04 अंक, अधिकतम—20 अंक)
- नोट:- अनुभव राज्य/केन्द्र/स्वायत्तशासी राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कालेज के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव मान्य नहीं होगा।
- मौखिक (Viva)— 50 अंक

- 22. देश के बाहर से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examination) से परीक्षा उत्तीर्ण की है, का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examination) की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जायेगा।**

- 23. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, तत्पश्चात् आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।**

24. साक्षात्कार परीक्षा माह अक्टूबर—नवम्बर, 2020 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।
25. परीक्षा कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश—पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

ह0/-

सचिव,

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।